(वाद संख्या–1187/4/6/2020 & 4882/16)

23.06.2021

परिवादी कुंवर राम, दैनिक मजदूर, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई0सी0डी0एस0) कार्यालय, भोजपुर, आरा उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व परिवादी के परिवाद–पत्र पर जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

उक्त प्रतिवेदन पर आज परिवादी की ओर से अनुलग्नकों के साथ प्रत्युत्तर भी दाखिल किया गया है।

प्रसंगाधीन मामला, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई0सी0डी0एस0) के कार्यालय, भोजपुर, आरा में नियोजित दैनिक मजदूर (परिवादी) के पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित है।

उक्त के संबंध में परिवादी का कथन है कि उसे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा के कार्यालय द्वारा राज्य सरकार के दैनिक मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी के स्थान पर **मात्र एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।** परिवादी की ओर से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), के कार्यालय, भोजपुर, आरा द्वारा दिनांक 02.12.2013 को निर्गत आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी हैं जिसके अनुसार परिवादी को 'अनुसेवक' पद पर दैनिक मजदूर के रूप में राजस्व पर्षद, पटना के पत्रांक 767, दिनांक 24.06.2013 के आलोक में प्रत्येक माह 26 दिनों का 197 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा द्वारा अपने ही उक्त आदेश का अनुपालन न कर मात्र एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से परिवादी को दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी उनके कार्यालय में सुबह दो घंटा सिर्फ साफ–सफाई का कार्य करते हैं। उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि परिवादी को आकस्मिकता मद में आवंटन उपलब्ध रहने पर प्रतिमाह एक हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है। परिवादी स्वयं राज्य आयोग के समक्ष स्वीकार करते हैं कि उन्हें दैनिक मजदूरी के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से अद्यतन भुगतान प्राप्त हो रहा है।

अब जबकि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा के कार्यालय द्वारा परिवादी के दैनिक मजदूर के रूप में दैनिक

मजदूरी के संबंध में आदेश निर्गत किया जा चुका है, फिर भी उक्त कार्यालय द्वारा अपने ही आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो संबंधित पदाधिकारी की मनमानी एवं स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करता है।

राज्य आयोग जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन से असहमत हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में दैनिक मजदूर के रूप में कार्यरत कर्मियों को बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुरूप ही न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक भुगतान किये जाने का प्रावधान है। किसी भी कर्मी को उक्त अनुदेशों में निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक से कम भुगतान किया जाना उसके मानवाधिकार के हनन की श्रेणी के अन्तर्गत आता है जिसके लिए दोषी कर्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ परिवादी की ओर से आज दाखिल प्रत्युत्तर (अनुलग्नकों सहित) एवं बिहार गजट असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित संकल्प 241 एवं 242, दिनांक 31 मार्च, 2021 (श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना) की अधिसूचना की प्रति संलग्न कर जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के माध्यम से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, कार्यालय, भोजपुर, आरा को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाय कि **राज्य आयोग द्वारा आदेश के अनुपालन में परिवादी कुंवर राम, दैनिक मजदूर, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 कार्यालय, भोजपुर, आरा को श्रम संसाधन विभाग के उक्त अधिसूचना व समय समय पर निर्गत अधिसूचना के अनुरूप परिवादी को उनके कार्यावधि (सेवा काल से अबतक) का बकाया भुगतान किया जाना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 02.09.2021 के पूर्व तक जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के माध्यम से राज्य आयोग को अनुपालन प्रतिवेदन उपलबध कराना सुनिश्चित करें।**

संचिका दिनांक 09.09.2021 को उपस्थापित की जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>